प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर)/ 6067-6765 /2017–18 दिनांक 27–12–2017

विषयः–प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं स्कूलों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सभी विद्यालय/शिक्षण संस्थानों के सभी मुख्य गेट एवं प्रमुख स्थानों पर वॉल पेन्टिग कराये जाने एवं उक्त अधिनियम के पूर्ण अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आधुनिक वैश्विक परिदृष्य में जहां एक ओर विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों के कीर्तिमान स्थापित हो रहे है वहीं भारत ही नहीं विश्व में तम्बाकू एवं उसके अन्य उत्पादों के सेवन से विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के मनमस्तिष्क प्रभावित होने के साथ उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद कोटपा अधिनियम 2003" के प्रावधान लागू कराये गये एवं इसके लिये निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराये जाने के लिये शासन द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैंः–

1. सभी विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के बाहर मुख्य द्वार के पास एक बोर्ड लगाया जाय, जिस पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान/विद्यालय प्रदर्शित किया जायेगा।

बोर्ड का प्रारूप निम्नवत् है–

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
इस संस्था के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना **COTPA 2003** की धारा **6b** के अन्तर्गत एक अपराध है उल्लंघनकर्ता पर 200/– रू0 तक का जुर्माना किया जा सकता है। **आदेशानुसार** प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका का नाम..... विद्यालय का नाम..... मोबाइल नम्बर.....

2. प्रत्येक विद्यालय के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का विकय प्रतिबन्धित कर दिया गया है एवं इस अपराध हेतु रू0 200/– तक के दण्ड का प्रावधान किया गया है।
3. विद्यालय/शिक्षण संस्था में एक तम्बाकू निषेध कमेटी का गठन किया जाय जिसमें शिक्षक/छात्र स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हों।
4. विद्यालय/शिक्षण संस्था में शिक्षक/छात्र/कर्मचारी/आगन्तुक कोई भी तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं करेगा और साथ ही तम्बाकू नियंत्रण कार्यशालायें प्रमुखता से आयोजित की जायें।
5. विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति की होने वाली बैठकों में भी तम्बाकू एवं उसके विभिन्न उत्पादों के निषेध पर चर्चा की जाय तथा तम्बाकू निषेध कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि तम्बाकू एवं उसके उत्पादों से छात्र–छात्राओं पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोके जाने के लिये अपने जनपद के समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं को उपर्युक्त से अवगत करायें तथा निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

27.12.17

डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्याः शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शि0)/ /2017–18, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य/राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।
2– अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।
3– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।

डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।